कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 204/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 28.05.2026

थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

• साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति को 30,000 रुपये वापस कराये गये

• अतरौलिया साइबर हेल्प डेस्क की प्रभावी कार्यवाही से पीड़ित को मिली राहत

दिनांक 10.03.2025 को आवेदक अर्जुन विश्वकर्मा निवासी भोराजपुर खुर्द थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके द्वारा ऑनलाइन कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च कर कॉल किया गया, जिसके उपरांत साइबर ठगों द्वारा फर्जी तरीके से उनके खाते से 52,371/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली गयी।

इस संबंध में आवेदक द्वारा साइबर शिकायत संख्या 2310xxxxxxxxx पंजीकृत करायी गयी। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही करते हुए थाना अतरौलिया साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी उ0नि0 अभिषेक यादव द्वारा होल्ड करायी गयी धनराशि में से मा0 न्यायालय के आदेश (फंड रिलीज ऑर्डर) के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवेदक के खाते में कुल 30,000/- रुपये वापस कराये गये।

आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं साइबर शिकायत की जांच के क्रम में प्रभारी उ0नि0 अभिषेक यादव एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए पीड़ित को धनराशि वापस करायी गयी।

वापस करायी गयी धनराशि

30,000/- रुपये

पुलिस टीम

1. प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क उ0नि0 अभिषेक यादव, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 कौशिक वर्मा, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना– गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

• हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

• गम्भीरपुर पुलिस ने अभियुक्त को विषहम मोड़ से किया गिरफ्तार

थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 19.05.2026 को वादी अनुज मोदनवाल पुत्र स्व0 सूरज मोदनवाल निवासी ग्राम रानीपुर रजमों (विन्द्राबाजार), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 18.05.2026 की रात्रि में पड़ोसियों द्वारा ताना मारने की बात को लेकर उनके पिता सूरज मोदनवाल पर लाठी-डण्डा एवं रॉड से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे गंभीर चोट लगने पर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 28.05.2026 को थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र मोदनवाल को विषहम मोड़ से समय करीब 10:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

शैलेन्द्र मोदनवाल पुत्र स्व0 शिवलाल निवासी ग्राम रानीपुर रजमो (बिन्द्रा बाजार), थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-124/2026 धारा 105/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सर्वेश यादव, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. रि0का0 अन्तेष पाण्डेय, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
4. रि0म0का0 अंजू जायसवाल, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना– बरदह, जनपद आजमगढ़

• पुरानी रंजीश में जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

• घटना में प्रयुक्त लोहे की किक व मोटरसाइकिल हैंडल कवर बरामद

थाना बरदह पुलिस द्वारा पुरानी रंजीश में हुए जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
दिनांक 21.05.2026 को वादी मोनू राजभर पुत्र संतलाल राजभर निवासी ग्राम महुँजा नेवादा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि मुक्तीपुर पेट्रोल पम्प के पास पुरानी कहासुनी को लेकर विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए चाकू एवं अन्य वस्तुओं से हमला कर उन्हें तथा उनके भतीजे यश को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना बरदह पर अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 28.05.2026 को की सूचना पर अभियुक्त रवि राजभर पुत्र सुरेन्द्र उर्फ दलई राजभर निवासी ग्राम शिवपुर (महुँजा नेवादा), थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को देवापुर सगरा से समय 08:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 178/26 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109 बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

रवि राजभर पुत्र सुरेन्द्र उर्फ दलई राजभर निवासी ग्राम शिवपुर (महुँजा नेवादा), थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की मोटरसाइकिल किक एवं एक अदद लोहे का मोटरसाइकिल हैंडल कवर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. मु0आ0 अशर्फी लाल, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
3. रि0का0 विनय कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़